



राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग
राजस्थान, जयपुर

E-mail : pd-mmjrk-rj@nic.in, co_mmjrk.nrhm@yahoo.in Tel. No. 0141-5110731

एफ29()एनएचएम/एमएमजेआरके/पुनरावलोकन/17/ 828

दिनांक : 21/12/17

परिपत्र


राज्य में संचालित मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष योजना (एमएमजेआरके) की समस्त लाभार्थी श्रेणी के रोगियों को ओपीडी/आईपीडी में सम्पूर्ण उपचार मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना एवं भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निःशुल्क प्रदान किये जाने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं -

1. हिमोफिलिया एवं थैलेसिमिया के मरीजों हेतु आवश्यक इंजेक्शन फैक्टर VII एमएनडीवाई के तहत उपलब्ध करवाये जावें। इस संबंध में उक्त इंजेक्शन को आवश्यक दवा सूची में शामिल करने की कार्यवाही आरएमएससीएल द्वारा की जावेगी।
2. एमएमजेआरके योजना के लाभार्थियों को ओपीडी के अन्तर्गत एमएनडीवाई योजना की आवश्यक दवा सूची में सम्मिलित दवा या उनके सब्स्टीट्यूट ही लिखे जावें। यदि कोई दवा या उसका सब्स्टीट्यूट जो रोगी की जीवन रक्षा के लिये आवश्यक हो और वह आवश्यक दवा सूची में सम्मिलित नहीं हो तो उसे स्थानीय बाजार से निविदा प्रक्रिया के माध्यम से क्रय कर उपलब्ध करवाया जावे। उक्त पर होने वाले व्यय का वहन एमएनडीवाई योजना में चिकित्सालय को आवंटित अतिरिक्त राशि में से किया जावेगा।
3. एमएमजेआरके योजना के लाभार्थियों को ओपीडी के अन्तर्गत एमएनजेवाई योजना में सम्मिलित जांचों के अतिरिक्त यदि कोई जांच आवश्यक हो और उक्त जांच की सुविधा चिकित्सालय में उपलब्ध हो तो वह जांच चिकित्सालय में ही एमएनजेवाई योजना के अन्तर्गत की जाकर उस पर होने वाले व्यय की राशि को एमएनजेवाई योजना से वहन किया जावे। यदि कोई जांच एमएनजेवाई योजना एवं चिकित्सालय में उपलब्ध ना हो तो स्थानीय बाजार से निविदा प्रक्रिया के माध्यम से न्यूनतम राशि पर करवाई जाकर उस पर होने वाले व्यय को एमएनजेवाई में वहन किया जावे।
4. एमएमजेआरके योजना के लाभार्थी आईपीडी रोगियों को इम्प्लांट की आवश्यकता होने पर प्रथमतः उसका उपचार भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत किया जावे। किसी इम्प्लांट का पैकेज भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में नहीं होने पर उक्त रोगी के संपूर्ण विवरण का इन्द्राज कर इम्प्लांट पर होने वाले व्यय को भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की आय में से वहन किया जावे।
5. एमएमजेआरके योजना के लाभार्थियों को पूर्व में अग्रिम उपचार के लिये एम्स, नई दिल्ली अथवा पीजीआई, चंडीगढ़ में रेफर किये जाने का प्रावधान था। चूंकि अब राज्य में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत लगभग 500 निजी चिकित्सालय अनुबंधित किये जा चुके हैं। इसलिये अब किसी रोगी को एम्स, नई दिल्ली अथवा पीजीआई, चंडीगढ़ में रेफर नहीं किया जावे। यदि कोई उपचार चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित चिकित्सालयों में उपलब्ध ना हो तो ही ऐसे रोगियों को

32

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत अनुबंधित निजी चिकित्सालयों में रैफर किया जा सकता है।

6. एमएमजेआरके योजना के लाभार्थियों को आवश्यकता होने पर उच्च संस्थान में रैफर किये जाने की स्थिति में उन्हें केवल 108/104 एम्बुलेंस के माध्यम से ही परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जावे। इसके अतिरिक्त इनके परिवहन पर किसी तरह के व्यय का पुनर्भरण नहीं किया जावेगा।



शासन सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य, प0क0 विभाग एवं मिशन
निदेशक, एनएचएम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है -

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव (बजट) वित्त विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
9. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेन्सी, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
10. निजी सहायक, प्रबंध निदेशक, आरएमएससीएल।
11. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
12. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
13. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
14. निदेशक (जन स्वास्थ्य/एड्स) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर।
15. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक चिकित्सा महाविद्यालय, राजस्थान।
16. समस्त अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित चिकित्सालय, राजस्थान।
17. निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
18. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, मुख्यालय।
19. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान।
20. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
21. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला/उप खण्ड/सैटेलाईट चिकित्सालय, राजस्थान।
22. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम को भेजकर लेख है कि इस परिपत्र की प्रति संबंधित जिलों के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारियों को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।
23. प्रभारी सर्वर रुम कृपया संबंधित को ई-मेल करवाये।
24. रक्षित पत्रावली।



शासन संयुक्त सचिव
एनएचएम